

जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बबलू उर्फ विमलसिंह बनाम मनटेश वगै०

मु०नं० 24/2023


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

12.03.2025

आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी को रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलायी गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील वादी को प्रतिवादीगण के तलबी कराने हेतु तलवाना सम्मन पेश करने के लिये कई अवसर दिये जा चुके हैं किन्तु तलवाना सम्मन पेश नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादी अपने वादपत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा वादपत्र को चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः वादी का वाद पत्र वादी व वकील वादी की अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

  
उप खण्ड अधिकारी  
महवा (दौसा)